UPKJ010047042023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधि०)
कक्ष सं०–1, कन्नौज।
उपस्थित– श्री हरि प्रसाद (एच०जे०एस०)
विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–900/2023

उत्तर प्रदेश सरकार .....**अभियोजन पक्ष।**

बनाम

उपदेश पुत्र रामबाबू,
निवासी–ग्राम व पोस्ट नन्दलालपुर (लोधपुर) थाना छिबरामऊ, जनपद कन्नौज।

.....**अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्या–371/2020
धारा–138(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज।

निर्णय

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के **मुकदमा अपराध संख्या–371/2020** में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है। इस मामले में अभियुक्त **उपदेश कुमार** के विरुद्ध धारा 138(बी) विद्युत अधिनियम 2003 का अपराध आरोपित है।

2. इस मामले का पंजीकरण सम्बन्धित थाने में अभियोगी **अवर अभियन्ता करन सिंह** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/तहरीर (प्रदर्श क–2) के आधार पर किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 21.09.2020 समय 12.30 बजे से 12.40 बजे तक मैं करन सिंह अवर अभियंता 33/11 केवी उपकेन्द्र छिबरामऊ द्वितीय ने संविदाकर्मी लाइन स्टाफ के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोको अभियान एवं विद्युत वसूली अभियान के अन्तर्गत पूर्व में काटे गये विद्युत संयोजनों को चेक किया तो उपदेश पुत्र रामबाबू ग्राम नन्दलालपुर जिला कन्नौज संयोजन संख्या–781711402602 बकाया मु०–49,653/–रूपये को बिना बकाया जमा किये अपने स्तर से अवैध रूप से कटिया डालकर बिना विद्युत बिल जमा किये विद्युत का प्रयोग करते पाया गया। मौके पर विद्युत बिल जमा सम्बन्धी प्रपत्र मांगने पर कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः मुल्जिम उपरोक्त के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा की जाये।

3. इस मामले में स्थानीय थाना द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त **उपदेश कुमार** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेने एवं आवश्यक विधिक

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.15 11:17:54 IST
Reason: ACCUSED AQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त **दिनांक 18.01.2025** को अभियुक्त **उपदेश कुमार** के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम 2003 में आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के विरूद्ध विरचित आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी वादी मुकदमा/पी०डब्लू० 1 अवर अभियंता को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में चेकिंग रिपोर्ट प्रदर्श क–1, मूल तहरीर प्रदर्श क–2 दर्शांकित कराया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने कथन किया है कि मेरे विरुद्ध लगाया गया आरोप गलत है। मेरे विरुद्ध झूंठा मुकदमा लिखा दिया। अभियुक्त की तरफ से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. इस दाण्डिक वाद में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विरचित आरोप के निर्धारण के लिये प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण निम्न प्रकार किया जा रहा है–

7. अभियोजन साक्षी/वादी मुकदमा **पी०डब्लू०–1 करन सिंह अवर अभियंता** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.09.2020 को समय 12.30 बजे से 12.40 बजे तक मैं उपकेन्द्र छिबरामऊ ने मय संविदा कर्मी लाइन स्टाफ के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोका अभियान एवं विद्युत बिल अभियान के अन्तर्गत पूर्व में काटे गये विद्युत संयोजनों को चेक किया तो अभियुक्त उपदेश पुत्र रामबाबू संयोजन संख्या–781711402602 बकाया रूपये 49,653/–रूपये घरेलू संयोजन को बिल बिना बकाया जमा किये अपने स्तर से अवेध रूप से कटिया डालकर बिना विद्युत बिल जमा किये विद्युत का उपयोग करते पाये गये। मौके पर विद्युत बिल जमा सम्बन्धी प्रपत्र मांगने पर कोई प्रपत्र संलग्न नहीं कर सके। चेकिंग रिपोर्ट तैयार घटनास्थल पर ही तैयार की गयी थी। चेकिंग रिपोर्ट संख्या–12/740 भरी गयी। चेकिंग रिपोर्ट घटनास्थल पर ही तैयार की गयी थी जो पत्रावली में कागज संख्या–4ए/4 अंकित है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मूल तहरीर पत्रावली पर कागज संख्या–4ए/4 अंकित है जिसपर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

साक्षी पी.डब्लू.–1 करन सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि **इस मुकदमे से सम्बन्धित समस्त शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क जमा हो चुका है। इस मुकदमे को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।**

इसप्रकार साक्षी पी.डब्लू–1 के बयान से यह विदित होता है कि **इस मुकदमे से सम्बन्धित समस्त शमन शुल्क व निर्धारण शुल्क जमा हो चुका है। इस मुकदमे को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।**

8. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि पत्रावली में तहरीर में अंकित शेष साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिसका कोई कारण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसप्रकार अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 को साक्षी पी.डब्लू–1 अवर अभियन्ता करन सिंह के बयान से साबित होना नहीं कहा जा सकता है।

9. राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोडकर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जाना साबित हो रहा है। अतः अभियुक्त इस मामले में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

10. अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि अभियुक्त ने कोई विद्युत चोरी नहीं की। अभियुक्त के विरुद्ध झूंठी गवाही दी गई। अभियुक्त द्वारा इस मामले से सम्बन्धित शमन योग्य समस्त धनराशि जमा कर दिया गया है। अभियुक्त पर अब कोई भी देय शेष नहीं है। अभियुक्त इस मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

11. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, प्रपत्रों, पक्षों के अभिकथनों तथा प्रकटित परिस्थितियों का समग्र परिशीलन किया। अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत चोरी के इस एफ.आई.आर. में तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित संयोजन को पुनः अपने स्तर से जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग किया जा रहा था।

12. धारा–138 बी विद्युत अधिनियम विद्युत चोरी के अपराध में यह विनिश्चयन आवश्यक होता है कि कथित विद्युत चोरी कितने विद्युत अधिभार से किया जा रहा था तथा इस विद्युत चोरी से अभियुक्त को कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में भी अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपरोक्त मामले में स्वतंत्र साक्षीगणों के साक्ष्य का अभाव है। विद्युत मीटर की कोई यांत्रिक/तकनीकी जांच आख्या प्रस्तुत नहीं है जो विद्युत चोरी के तथ्य को पुष्टि करता हो।

13. धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के आरोप को साबित करने के लिये आवश्यक विशिष्टियों का साक्ष्य न तो विवेचना में संकलित किया गया और न ही विचारण के दौरान उसे साबित कराया गया है। इस साक्ष्य विश्लेषण में यह स्थिति प्रकट हो रही है कि विद्युत चोरी के आरोप को साबित होने के लिये अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से विद्युत चोरी के अपराध की विशिष्टियां साबित नहीं हो रही हैं।

14. पत्रावली में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड छिबरामऊ, जनपद कन्नौज द्वारा निर्गत पत्र दिनांकित 24.07.2025 के अनुसार उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त **उपदेश कुमार पुत्र रामबाबू,** ने अपना **बकाया बिल मु०–51,511/–रूपये रशीद संख्या**

804883646765, 804316696291 के द्वारा दिनांक 21.02.2025 को व शमन शुल्क 2,000/–रूपये रशीद संख्या 553074546351 एवं निर्धारण शुल्क 1,140/रूपये रशीद संख्या 553836969179 के द्वारा दिनांक 03.04.2025 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया है। इस मामले से सम्बन्धित समस्त शमनयोग्य धनराशि जमा हो चुकी है। इस आपराधिक वाद को समाप्त करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

15. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 (अप्राधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन संयोजित किया जाना) साबित नहीं हुआ है। अतः **विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–900/2023 राज्य बनाम उपदेश कुमार, अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–371/2020 थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज में अभियुक्त उपदेश कुमार** आरोपित अपराध में **दोषमक्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–900/2023 बाबत मुकदमा अपराध संख्या–371/2020 थाना एण्टी पावर थेफ्ट कन्नौज, जनपद कन्नौज के आरोप अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम 2003 से अभियुक्त उपदेश कुमार को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है।

अभियुक्त के जमानत प्रपत्रों को निरस्त करते हुये प्रतिभूगणों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिबन्ध पत्र दाखिल करें।

दिनांक–10.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक–10.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(विद्युत अधि०) कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।
J.O.Code– UP6489